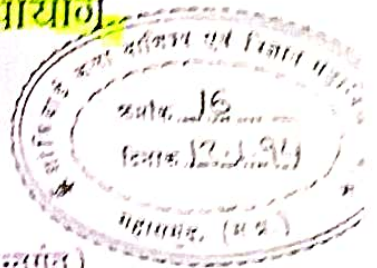


मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग

हुं-2/84, अरेरा कालोनी, भीवाळ

प्रमाण-पत्र



(विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधान 26 (I) के अन्तर्गत)

प्राचार्य **शांतीबाई कला, वाणिज्य विज्ञान महावि. महासमुन्द**

द्वारा पत्र क्र. नि. दिनांक 11.8.93 द्वारा आयोग की विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26 (I) (V) के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र 93-94 के लिये ~~सूचना~~ अन्तर्गत महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.12.93 पर विचार करने के उपरान्त आयोग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् के प्रावधान 26 (I) (V) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् की विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधान 24 (XII) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि वह संस्था के आवेदन पर विचार करे।

विषय

बी. ए. भाग एक आधार पाठ्यक्रम हिन्दी-अंग्रेजी

सत्र 93-94

राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र

गृहविज्ञान

बी. काम. भाग प्रथम

93-94

अतः आयोग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, आयुक्त निचय शांतीबाई कला, वाणिज्य विज्ञान महावि. महासमुन्द

विश्वविद्यालय/समिति को प्रदान करता है, जिससे कि वह विश्व-विद्यालय अधिनियम की धारा 26 (I) (V) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करे।

आयोग के आदेशानुसार

(सं. ओ. एन. मायूर)

सचिव

दिनांक 11.1.94

प. क्र. 309

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य/अध्यक्ष शांतीबाई कला वाणिज्य विज्ञान महावि. महासमुन्द को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कुलसचिव रविशंकर वि. वि. रायपुर को सूचनाएं एवं धारा 24 (XII) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
3. सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं।

/ / आदेश / /

આદેશાનુસાર,

पृष्ठसं. 52.

अक 10/संयुक्ता/94 रायपुर, दिनांक 20 जनवरी, 1994.

प्रतिलिपि:-

	अध्यक्ष, उत्तुत्तोसगद्द चन्द्रनाहू शिक्षण समिति, महात्ममुन्द ।	
१२४	प्राचार्य, शांति दाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महा०,	महात्ममुन्द ।
३४	साचिव, उच्च शिक्षा, म०प्र०शासन, शिक्षा विभाग, दल्लभ भवन, भीपाल ।	
४४	साचिव, म०प्र०उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, महादोर नगर, अरेरा कालोनो, भीपाल ।	
५४	उपकुलसाचिव, गोपनीय / विकास, वित्त अधिकारी,	पं०रविशंकर शुक्ल
६४	सहायक कुलसाचिव परीक्षा,	विश्वविद्यालय, रायपुर
७४	निदेशिका महा० विकास परिषद,	
८४	कुलपाति के साचिव / कुलसाचिव के निजी सहायक	

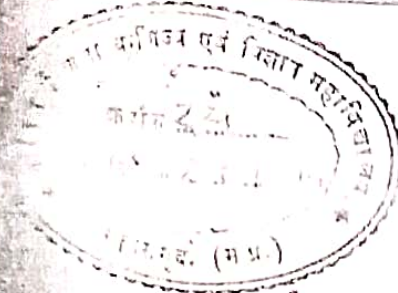
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहो हेतु अंग्रेषित ।

5th Avenue

उपकुलसचिव : अकाउंट

211-207732

2001.94



म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग,
ई-2/84, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक/अनु.अधि./सम्बद्धता/93/ 447

भोपाल, दिनांक 24-1-94

प्रति,

प्राचार्य,
शांतीबाई कला/वाणिज्य/विज्ञान महावि०
महासमुन्द.

विषय: बी.ए. भाग एक में इतिहास विषय देने बावत ।

सन्दर्भ: महावि. का पत्र क्रमांक 18 दिनांक 24.1.94

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि, बी.ए. भाग एक में ४ टाइपिंग मिस्टेक के कारण इतिहास विषय छूट गया था । अतः आयोग के अनुमति प्रमाण पत्र क्र० 309 दिनांक 11.1.94 में इतिहास विषय की अनुमति दी जाती है ।

भवदीय

॥ प्रो. एन. एन. शर्मा ॥
सचिव

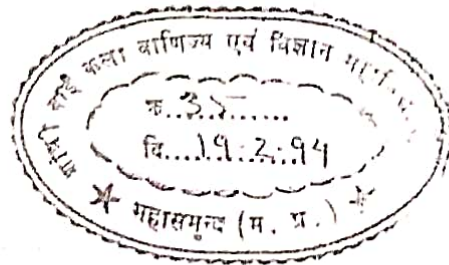
पृष्ठों/क्रमांक /अनु.अधि./सम्बद्धता/93/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. कुल सचिव, रविशंकर वि०वि० रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. सचिव, म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

सचिव



पं० रावशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ४३०००४

क्रमांक 117 /अक०/94

प्रति,

रायपुर, दिनांक: 16 फरवरी, 1994

प्राचार्य,

शांति बाई कला/वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय,
महासमुंद ४३०००४

विषय:-

सन्दर्भ:-

महोदय,

बो० ए० भाग-एक में इतिहास विषय देने संबंधी ।
आयोग पत्र क्रमांक 447 दिनांक 24-1-94

संदर्भित पत्रानुक्रम में सूचित करना है कि महाविद्यालय में
पढ़ाये जा रहे बो० ए० भाग-एक में इतिहास विषय के अध्यापन की अनुमति
प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(Signature)

॥ आनंद कुमार काम्बले ॥
उप कुलसचिव ॥ अक० ॥

पृष्ठांकन क्रमांक

/अक०/94

प्रतिनिधि:-

रायपुर, दिनांक

फरवरी, 1994

- 1- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चन्द्रनाह शिक्षण समिति, महासमुंद.
 - 2- सचिव, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल.
 - 3- सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.
 - 4- उप कुलसचिव गोपनीय/विकास/परीक्षा
 - 5- निर्देशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्
 - 6- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक
- को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अशेषित है।

पं० रावशंकर शुक्ल,
रायपुर

(Signature)

उप कुलसचिव ॥ अक० ॥

175
27-1-95

राज्यपाल, काठमाडौं, उच्च शिक्षा मन्त्रालय
अन्तर्गत शिक्षा तथा विज्ञान विभाग
ई-2/84, महाविद्यालय, काठमाडौं

प्रमाण-पत्र

1. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 र प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत।

प्राचार्य डा. वी. कला/व्यापार/विज्ञान महावि. महानगरी

प्रा.प्र. क्रमांक 184 दिनांक 30.12.84 को विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को धारा 26(1)(iv) के अन्तर्गत महाविद्यालय को तत्कालिन रूपमा जमातगीर महाविद्यालय ई निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की स्थापना प्रारंभ करने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया।

विषय :- विज्ञान संकाय।

तम:-

वी. एम. सी. भाग-एक - आधार पाठ्यक्रम

ऐतिह्यिक, सामाजिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति शा. 94-95

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के इतिरेक दिनांक 28 विभाग तंतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विद्या परिषद् के प्रावधान 26(1) (iv) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य-परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1)(i) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि वह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, मातृ-निदेश महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1) (iv) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक जो निम्नानुसार है :-

- 1- महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
- 2- महाविद्यालय को प्राप्ति की जात के आधार पर चलाया जावेगा।
- 3- प्रवेश प्रयोग के आधार पर दिया जावेगा।
- 4- गुणानुक्रम में होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये यदि उनका भार उनपर डाला जाये किन्तु आर्थिक रूप से गुणवत्ता करने की क्षमता अधिक है।
- 5- शासन के निर्देशों एवं तत्पश्चात् प्रदत्त दिने नीचे निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

अतिरिक्त संकाय
आवश्यक उच्च शिक्षा म.प.
प्रमाण

क्रमांक/ 420

प्रमाण, दिनांक 27-1-95

- 1/ प्राचार्य/अध्यक्ष डा. वी. कला/व्यापार/विज्ञान महावि. महानगरी जि. - रा.पु. को तृणमार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2/ कुलपति - ललितपुर वि. वि. वि. - - - को तृणमार्थ एवं धारा 24(1)(i) के अन्तर्गत प्रेषित करने हेतु।
- 3/ तत्पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग की ओर उनके तंतुष्ट एवं तृणमार्थ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही

टिप्पणी:-

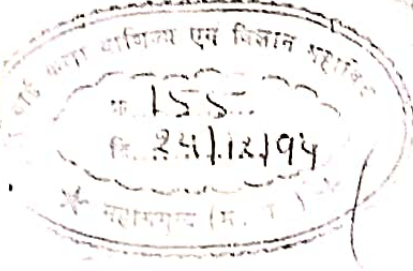
यह प्रमाण-पत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नवी स्थापना करने के लिए अतिरिक्त नहीं प्रदान करता।
जब तक कि विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24(1)(i) के अन्तर्गत संस्था प्रदान नहीं करता।

Signature
अतिरिक्त संकाय
आवश्यक उच्च शिक्षा म.प.
प्रमाण

राष्ट्रिय आयोग, उच्च शिक्षा म. प्र. शासन
राष्ट्रिय आयोग के संस्थाओं के संबंधित शासन।

ई 2/84, महावीर-मठ, भोपाल.

प्रमाण-पत्र



विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अनुसार।

प्रमाण, शांती बाइ कला/व्यापारिक एवं विधि महा. महासमुन्द जि. रायपुर
इसके 104 दि. 18.8.94 को इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1) IV के अनुसार महाविद्यालय में कम निम्न से क्या ज्ञातकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों की
प्रमाण प्रदान किये जाने के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय -
बी. ए. भाग-दो - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य
राजनीति शास्त्र, अध्यात्म, भूगोल, समाजशास्त्र,
गृह विज्ञान, इतिहास

94-95

बी. काम. भाग-दो

94-95

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक मिल पर विचार करने के उपरान्त यह
संज्ञात है कि विश्वविद्यालय की विषय परिषद के प्रावधान 26(1) IV विश्वविद्यालय अधिनियम
1973 के अनुसार तथा कायदेरिषद की विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1) के
अनुसार अनुमति दी जाये कि वह संस्था के आवेदन पर विचार करे।

अतः यह विभाग यह प्रमाण पत्र निम्न शाओं के साथ प्रकाश/अ. प्र. छत्तीसगढ़ चन्द्रनाइ शिक्षण
समिति महासमुन्द जि. रायपुर / समिति को प्रदान करता है जिससे कि वह विश्वविद्यालय
अधीनस्थ की धारा 26(1) IV के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करे:-

1. महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
2. महाविद्यालय अधिक मात्र उचित नहीं करेगा।
3. प्रवेश फीस के आधार पर दिया जावेगा।
4. छात्रों में जाने वाले अधिक स्व से कमजोर छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाये चाहे उनका भार
से ही उन पर डाला जाये जिनकी अधिक स्व से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
5. शासन के निर्देशों एवं समय समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

अतिरिक्त सहायक
वास्तु आयुक्त उच्च शिक्षा म. प्र.
भोपाल, दिनांक 24.12.94

संज्ञा/संज्ञा/ 7260

1. प्रमाण/प्रमाण शांती बाइ कला/व्यापारिक एवं विधि महा. महासमुन्द जि. रायपुर
तुम्हारे स्व आयुक्त का प्रवाही हेतु।
2. संज्ञा/संज्ञा वि. वि. रायपुर को तुम्हारे स्व धारा 24(1) के अनुसार श्री
प्रमाण देने हेतु।
3. संज्ञा, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर उनके तदर्थ कुमाक गभिल के अनुसार
प्रमाण का प्रवाही एवं तुम्हारे।
4. संज्ञा, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को क्या विचार करने/क्या कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए अधिकृत
नहीं करता है कि विश्वविद्यालय के प्रावधान 26(1) के अनुसार

क्रमांक 172. / अका0/95

आदेश

रायपुर, दिनांक

20-2-95

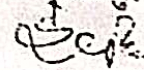
शांत्री

बाई कला/वाणिज्य/विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद को कुलपतिजी

द्वारा म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 1973 का क्रमांक 22 का धारा 52 को उपधारा 4 चार का कंडिका 5 पांच के तहत प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत नीचे दिए जा रहे कक्षा/विषयों को त्र 1994-95 से प्रारंभ किए जाने की अनुमति एवं 30/06/96 तक अस्थायी संबुद्धता प्रदान की गई है।

1. बो. एत. सी. भाग-1 - भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणी, आ. पा.,
2. बो. भाग-2 - हिन्दी, राज. वि., अर्थ., भूगोल, समाज, इतिहास, गृहविज्ञान. पा.
3. बो. काम. भाग-2 - अनिवार्य विषय

आदेशानुसार,

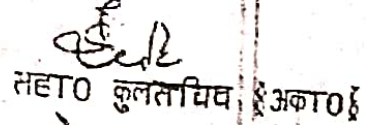


सहा0 कुलसचिव 1 अका0

प्रतिलिपि,

1. प्राचार्य, शांत्री बाई कला/वाणिज्य/विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि कृपया इंडोमेंट फंड को राशि तत्काल जमा करने को व्यवस्था करें एवं छात्र हित में आपके महाविद्यालय छात्रों को फार्म इत्यादि भरे जाने हेतु कुलपतिजी द्वारा पत्र निर्गमन तिथि से एक सप्ताह की अवधि प्रदान की गई है।

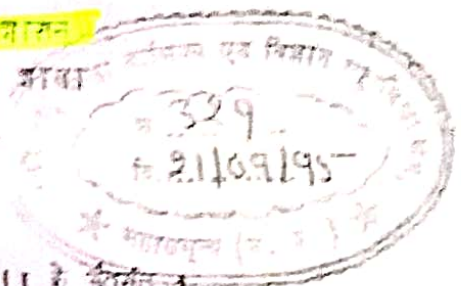
2. सचिव, म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
 3. सचिव, म0प्र0 उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल
 4. अतिरिक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 शासन 1 अशासकीय-शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा 1 ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल
 5. उपकुल सचिव गोपनीय/विकास/परीक्षा पं0 र0 वि0 वि0, रायपुर
 6. निर्देशक महावि0 विकास परीषद, तथैव
 7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, तथैव
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।


सहा0 कुलसचिव 1 अका0

20-2-95

राज्य-स्तर, राजपुर, उच्च शिक्षा मंत्रालय
 असाध्यय शैक्षणिक संस्थाओं के संबंधित आवास
 ई-2/84, महाचार नगर, भीमाल ।
 =====

प्रमाण-पत्र



असाध्यय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य श्री श्रीवाह कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महावि. महात्मुंद, रायपुर
 द्वारा पत्र क्रमांक 286 दिनांक 2.8.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा
 26(1)(1)(1) के अन्तर्गत में तब 95-96 में असाध्यय महाविद्यालय में निम्नलिखित
 आचारिक विभागों की स्थापना प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया ।

विभाग :- श्री. एस-सी. भाग-दो

तब:- 1995-96

आधार पाठ्यक्रम, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र,
 गणित, प्राणि शास्त्र

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक पर विचार करने के उपरान्त
 यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के प्रावधान 26(1) (1) विश्वविद्यालय अधिनियम
 1973 के अन्तर्गत तथा आई परिषद् की विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1)(1) के अन्तर्गत
 अनुमति दी जाये कि यह तथ्या के आवेदन पर विचार करें ।

आतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, प्राचीन विभाग
 महाविद्यालय/ समिति को प्रदान करता है कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1) (1) (1)
 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें ।

आवश्यक भी निम्नानुसार है :-

- 1- महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा ।
- 2- महाविद्यालय नो प्राविट नो लात के आधार पर
चलाया जायेगा ।
- 3- प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा ।
- 4- प्रमाणपत्र में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-
छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका
भार उनपर डाला जाये जिनकी आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने
की क्षमता अधिक है ।
- 5- शासन के निर्देशों एवं तथ्य तथ्य पर दिये गये निर्देशों का
पूर्णतः पालन करना होगा ।

प्रमाण/ 28/8

भीमाल, दिनांक

12-9-95

प्रतिनिधि:-

- 1/ प्राचार्य/अध्यक्ष श्री श्रीवाह कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महात्मुंद, रायपुर - - -
की सूचना एवं आसन्न कार्यवाही हेतु ।
- 2/ सहायक - प्र. रविशंकर शुक्ल विवि रायपुर - की सूचना एवं धारा 26(1)(1) के अन्तर्गत भी प्र.
प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 3/ सचिव, महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग की ओर उनके तैयारी हेतु । के अनुसार आवश्यक कार्यवाही

टिप्पणी:-

यह प्रमाण पत्र 1995-96 में असाध्यय की स्थापना प्रारंभ करने/पूरी स्थापना करने के लिए अधिकृत नहीं करता,
 जब तक कि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रारंभ करने/पूरी स्थापना करने के लिए अधिकृत नहीं करता ।

1995-96

पर 'विचार' करने के उपरान्त

UPPER 26th AVENUE

- ED-ATC
"D" 1000 1-1000

ਮੀਟਿੰਗ, ਮਿਤੀ: 18-9-95

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

५३३
२६/०२/९६

पं० राविशंकर प्रसाद विश्वविद्यालय-रायपुर म०प्र०

आदेश

क्रमांक/१२३७/अका/९२/९६,

रायपुर, दिनांक २४ फरवरी १९९६

श्रीमती वार्ड कला/वाणिज्य/विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद्र को कुलपतिजी द्वारा म०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ § १९७३ का क्रमांक २२४ की धारा १५ की उपधारा § चार § के तहत प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत नीचे दिये जा रहे कक्षा/विषयों की त्व - १९९५-९६ से प्रारंभ किये जाने की अनुमति एवं ३०-६-१९९६ तक अस्थायी संकुला पदान की जाती है -

§ १४

बी०एस०सी०-भाग-२

भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणीशास्त्र,

आधार पाठ्यक्रम

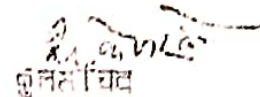
§ २४

बी०एस०भाग-३

हिन्दी, शिक्षान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज-

शास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, आधार पाठ्यक्रम

अतिशयानुसार,

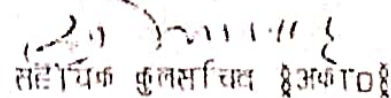

कुलसचिव

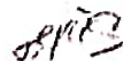
पृष्ठांकन क्रमांक/१२३८/अका/९२/९६,

रायपुर, दिनांक २४ फरवरी १९९६

प्रतिनिधि-

- १/ प्राचार्य, श्रीमती वार्ड कला/वाणिज्य/विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद्र § जिला रायपुर §,
 - २/ सचिव, म०प्र० उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल,
 - ३/ सचिव, म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल,
 - ४/ आंतरिक संचालक, कार्यालय आसुक्त उच्च शिक्षा म०प्र० शासन/अशासनाय ईसाईक संस्थाओं से संबंधित शाखा, ई-२/८५, महावार-नगर, भोपाल,
 - ५/ उपकुलसचिव-गीपनोय/विकास/परिक्षा, पं० राविशंकर, रायपुर
 - ६/ जनसंदेश- महाविद्यालय विकास परिषद, पं० राविशंकर, रायपुर,
 - ७/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं० राविशंकर, रायपुर,
- की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिष्ठित है


सहायक कुलसचिव § अका० §



२६/०२/९६

१९६-
२६/०२/९६

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

842

28/10/98

प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

1996-97

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

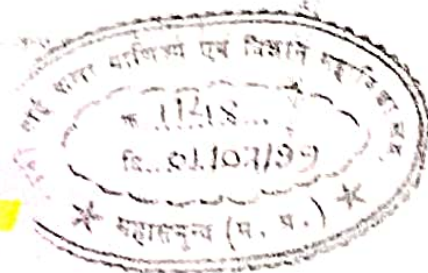
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

पं० राधेशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर १५०९०१



// अधिसूचना //

सं०/२३१/अका/सम्बद्धता/१९९९ रायपुर, दिनांक २० अप्रैल, १९९९

इलपातजी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ५२ §४§१(पांच) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत गंगाधरदास कला/व्याख्या/विज्ञान महाविद्यालय महासमुंद की १०९५०१०१० अंतर्गत की कक्षाओं का १९९७-९८ से दो वर्षों के लिये तननाताखत विषय के साथ प्रारंभ करने की अनुमति एवं दिनांक ३०-०६-१९९९ तक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

विषय-

१/ आधार पाठ्यक्रम
३/ रसायन शास्त्र
५/ गणित, एवं

२/ भौतिक शास्त्र
४/ वनस्पति शास्त्र,
६/ प्राणी शास्त्र ।

आदेशानुसार

(Signature)

१०९०१०१०१०

गुलसायब

पं०/२३२/अका/सम्बद्धता/१९९९ रायपुर, दिनांक २० अप्रैल, १९९९

संज्ञा-
१/ प्राचार्य, गंगाधरदास कला/व्याख्या/विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद ।

२/ अध्यक्ष, उच्च शिक्षा, १ अक्षांशीय शिक्षागत संस्थाओं से संबंधित शाखा, हिन्दो भवन, क्याम्पा हिल्स, भोपाल,

३/ आंतरिकत संचालक- उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर-क्षेत्र संभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर

४/ उप गुलसायब- गौपनीय/परीक्षा/विकास/वित्त विभाग, पं०रा०वि०श्री०वि०वि०, रायपुर

५/ निर्देशक- महाविद्यालयीन विकास पारिषद्, पं०रा०वि०श्री०वि०वि०, रायपुर

६/ इलपात के तायब/गुलसायब के तनजी सहोपक, पं०रा०वि०श्री०वि०वि०, रायपुर

को न्यूनार्थ एवं आवश्यक कार्यदायी हेतु भेजा जाता है ।

१९९९

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालन समिति,
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक / आउशि/अशा.शै.प्र./08 रायपुर, दिनांक

// अस्थाई प्रमाण पत्र //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 20 (1) के अन्तर्गत प्राचार्य/अध्यक्ष :
के पत्र क्रमांक दिनांक 13.10.2008
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 (1) (5) के अन्तर्गत (महाविद्यालय) :-
में सत्र 2008-09 के अन्तर्गत प्रमाणित महाविद्यालय में
निम्नलिखित विषयों के लिए प्रवेश प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है:-

पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय- सत्र छात्र संख्या

छात्र संख्या- 2008-09

आंतरिक विषय- रायपुर विज्ञान

बी. ए. बी. एड. बी. एड.
बी. एड. बी. एड. बी. एड.
बी. एड. बी. एड. बी. एड.
बी. एड. बी. एड. बी. एड.

2008-09

20

2008-09

40

2008-09

30

2008-09

30

2008-09

20

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक पर
विचार करने के लिये उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय के प्रावधान 20(1)(5) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24(12) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति दी जाये कि वह संस्था के आवेदन पर विचार कर सके।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-20 (1) (5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्तें निम्नानुसार है :-

1. सत्र- 2008-09 से प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला की सुविधाएँ प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व पूर्ण की जाये कि जिससे सत्र आरंभ होने पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो।
3. संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को एक माह में उपलब्ध कराये तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, तीन वर्षों के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी भी दें।

ORDER

62/07/08

संस्था में कालेज कोड-28 के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति होना आवश्यक है यह अनुमति प्रमाण पत्र अस्थाई है, संस्था द्वारा समस्त पूर्तियों की जाने पर इस कार्यालय को सूचित किया जाये, ताकि अस्थाई अनुमति प्रमाण पत्र पर विचार कर अस्थाई करने का निर्णय लिया जाये।

महाविद्यालय, शासन से भविष्य में कोई अनुदान की मांग नहीं करेगा। महाविद्यालय को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जायेगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये।

शासन, विश्वविद्यालय एवं सक्षम संस्था के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

मानक अनुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भवन, फर्नीचर, उपकरणों, प्रायोगिक उपकरणों एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था, संस्था को स्वयं करनी होगी। अन्य शर्त :-

01. अस्थाई महाविद्यालय स्थापना एवं विनियमन अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन करना।
02. नियम अनुसार छात्रों की नियुक्ति करना।
03. विनियम-28 के अनुसार शिक्षकों कर्मचारियों को नियुक्ति करना।
04. सभी अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन का अनुमान बैंक के माध्यम से करना।
05. महाविद्यालय एवं प्रयोगशाला को आवश्यक उपकरण देना।
06. विनियम पालन की निगरानी।
07. नियम 2007 के अन्तर्गत 2008 के अन्तर्गत दो माह में एक बार की जायेगी पर अन्यथा अनुमति पत्र अस्थाई प्रमाणित तत्तः अस्थाई मान्य जायेगा।

उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक 1162/ /आउशि/अशा.शे.प्र./08 रायपुर, दिनांक 30/6/08

प्रतिलिपि :-

सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
कुल सचिव, पं. रविशंकर प्रसाद विश्वविद्यालय, रायपुर।
अध्यक्ष, अस्थाई महाविद्यालय, रायपुर।
प्राचार्य, अस्थाई छात्रावास/विद्यालय, रायपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

टिप्पणी :-

यह प्रमाण पत्र किसी संस्था को विषय प्राप्त करने/नहीं कमाये प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं करता, जब तक विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 धारा 24(12) के अंतर्गत संबद्धता प्रदान नहीं करता।


उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ0ग0)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 6622/अका./सम्वद्धता/2009

रायपुर, दिनांक : 26./06/2009

॥ आदेश ॥

स्थापना समिति की बैठक, दिनांक 17/18.06.2009 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शांति वाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) को निम्न दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्वद्धता सशर्त प्रदान की जाती है। स्थायी समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर अंतिम निर्णय कार्यपरिषद की बैठक में किया जायेगा।

कक्षा/विषय		छात्र संख्या	सत्र
1.	बी.एस-सी. - प्रथम वर्ष अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर साइंस	30	2009-10
2.	पी.जी.डी.सी.ए.	40	
3.	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	30	
4.	एम.ए. पूर्व विषय - भूगोल	20	

शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- महाविद्यालय का संचालन बिना लाभ-हानि के आधार पर किया जावे।
- प्राधान्यानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लेंगे।
- अध्यादेश-7(7) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रवेश के अंतिम दिवस के 7 दिवस के भीतर, प्रवेशित छात्रों के नामों की सूची विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें।
- इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 1,25,000/- कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में तत्काल जमा कर एफ.डी.आर. की छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करें।
- बी.बी.ए. पाठ्यक्रम को अमान्य किया गया एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रम हेतु 10 अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं रु. 15,000/- की पुस्तकें क्रय कर रसीद एवं सूची से विश्वविद्यालय को तत्काल अवगत करावें।
- कम्प्यूटर पाठ्यक्रम हेतु परिनियम 28 के तहत 03 माह के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

आदेशानुसार,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

रायपुर, दिनांक : 26/06/2009

पृ. क्रमांक : 6623/अका./सम्वद्धता/2009

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/ विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.),
- वि.क.अ.- परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/गोपनीय/वित्ताधिकारी/विकास,
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-सी 30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र 73 / 20 / आउशि / अशै.प्र. / 2016

नया रायपुर, दिनांक 9 / 8 / 2016

प्रति,

प्राचार्य,

शांन्त्रीबाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय,
महासमुन्द (छ.ग.)



विषय:- सत्र 2015-16 में द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2016-17 में तृतीय वर्ष
स्नातक स्तर पर बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस) की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र.- 3929 दिनांक 25.05.2016

--00--

छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन)

अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के प्रावधानों के तहत आपके महाविद्यालय को शैक्षणिक
सत्र 2015-16 में द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2016-17 में तृतीय वर्ष स्नातक स्तर पर
बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस) की कक्षा प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की जाती

है:-

1. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जावें।
2. महाविद्यालय द्वारा खरीदे गये पुस्तकों की जानकारी देवें।
3. कायिक निधि की शेष राशि जमा करने की शर्त पर।

Signature

अपर संचालक (बी)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

OK

गो. ५११
दि. ०६/१२/७६

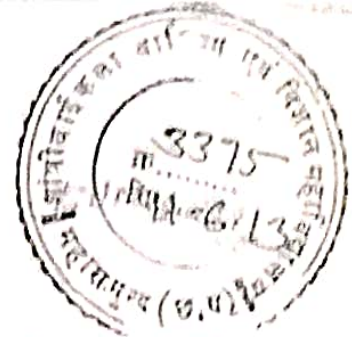
प्राप्त दिनांक : 02/12/2016

क्रमांक	कक्षा/विषय	कात्र संख्या	सत्र
1	B.Sc. (Computer Science) - II Year	30	2015-16
2	B.Sc. (Computer Science) - III Year	30	2016-17

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

**छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::**

महानदी भवन, नया रायपुर



कैम/वि
प्रति,

/1287/2013/38-2

रायपुर दिनांक /05/2013

आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग,
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर,
विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर छ.ग.

विषय :-

वर्ष 2013-14 से सांख्यिकी कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महाराष्ट्र में नवीन

संदर्भ :-

विषय - पाठ्यक्रम/संकाय/अतिरिक्त अनुभाग प्रारम्भ करने की अनुमति विषयक।
आपकी टीप क्रमांक 2866/आउशि/13, दिनांक 16.04.2013।

—00—

राज्य शासन एतद् सांख्यिकी कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महाराष्ट्र को
शैक्षणिक सत्र 2013-14 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन)
अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम,
2007 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार नवीन विषय की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा/विषय	शीट संख्या
1.	डी.सी.ए. (नवीन विषय)	30 शीट

2/-

उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 का पालन किया जावे।
- परिनियम 20 के अंतर्गत सम्बंधित विषय में शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे।
- 25 नवीन कंप्यूटर (साफ्टवेयर लाईसेंस सहित) कय किये जावे।
- पाठ्यक्रम से सम्बंधित रु. 30 हजार की पुस्तकें कय की जावे।
- बैंक के माध्यम से वतन भुगतान किये जावे।
- नियमानुसार कार्यालय निधि की राशि एवं आवश्यक शुल्क रु. 100307/- जमा करने एवं शेष राशि शीघ्र जमा की जावे।
- कडिका -18 की पूर्ति की जावे।

3/-

नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(एस.एल.नरै)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरस्त

11/06/13

6122
05/07/71

॥ आदेश ॥

3/7/2018

25.	नवीन कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	DCA	30	2018-19

- आदेशानुसार.

3/7/2018

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंदरावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विनागाध्यक्ष कंप्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा समेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त निपुत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कंप्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट में सूचनार्थ Up-load करे,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

परिष्ठ अधीशक (अका.)



ORDER

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 1.12.2014,

2. And whereas, the institution **Shantri Bai Arts Commerce & Science College, Khasra Number: 2041/08, Patwari Halka Number: 89, Bagbahra Road, District: Mahasamund, Chhattisgarh: 493445 (APW02105/723077)** has by affidavit consented to come under New Regulations and sought permission for basic unit in B.Ed. which require additional facilities,

3. And whereas, it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students subject to the institution fulfilling following conditions namely,

- (i). The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii). The applicant-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan(BP) in the specified Performa available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available; otherwise it can also be given to the Visiting team at the time of inspection.
- (iii). The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 Feb, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

4. Now therefore, in the light of the above and in terms of Section 14(3) (a) of NCTE Act and in accordance with the Regulations, 2014, the Western Regional Committee, NCTE hereby grants recognition to **Shantri Bai Arts Commerce & Science College, Khasra Number: 2041/08, Patwari Halka Number: 89, Bagbahra Road, District: Mahasamund, Chhattisgarh: 493445** for conducting B.Ed. programme of 2 years duration with an annual intake of 50 students (one basic unit) from the academic session 2016-17 subject to fulfilment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfilment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc. as applicable.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

7. The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution;
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.

.....Continued on next page =

- Name of faculty members who left or joined during the last quarter;
- Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- Fee charged from students;
- Available infrastructural facilities;
- Facilities added during the last quarter;
- Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- The affidavit with enclosure submitted along with application;
- The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

Note:- The attention of the institution should also be drawn to clause 2 (b) of NCTE Regulations, 2014, according to which every teacher training institution has to be a composite institution.

If the institution contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,


(Santhi Shrivastava)
Regional Director

The Manager,
Government of India Press,
Department of Publications (Gazette Section),
Civil Lines, New Delhi - 110054

To:

The Principal,
Shantiraj Arts Commerce & Science College,
Khawra Number: 2041/08, Patwari Halka Number: 89,
Bagbahra Road,
District - Mahasamund,
Chhattisgarh - 493445

Copy to:

- The Secretary, Chhattisgarh Chandranabai Shikshan Samiti, Bagbahra Road, District - Mahasamund Chhattisgarh,
- The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, G.E.R. Road, Saraswati Nagar, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh
- The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur- 492001, Chhattisgarh
- The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006
- The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001
- The OS (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002
- Computer programmer, Computer Section, WRO (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognised list uploaded in WRO website.
- Office Order file/institution file: APW02105/723077.

Regional Director

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262602 (ऑफिसियल) 0771-2262640 (कॉन्सलिंग) फैक्स-0771-2262616, 2262601

कमांक: 11-78 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक: 10 / 06 / 2016

II आदेश II

विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 की अनुशंसानुसार एवं महाविद्यालय की बैठक दिनांक 06.06.2016 के निर्णयानुसार शांती बाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुद्र (छ.ग.) की दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.A. I	50	2016-17

शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शिफारस/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- प्रमाणानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
- आदेश निर्माण की तिथि से तीन माह के भीतर इन्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 36,00,000/- (पैंतीस लाख रुपये) कूलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डीआर. की धार्याप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
- एन सी सी ई के माध्यम आदेश Recognition Order No. WRC/APW 02105/723077/229th/ B.Ed.-2015/149414- dat.- 29-07-2015 में उल्लेखित शर्तों का पालन करेंगे।
- समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- वॉरनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ को नियुक्ति तीन माह में अथवा सत्र 2016-17 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त करें।
- औसत प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उक्त विषय की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

[Signature]
उप कुलसचिव (अका.)
रायपुर, दिनांक: 10 / 06 / 2016

पु. कमांक: 11-79 / अका. / सम्बद्धता / 2016
प्रतिलिपि :-

- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.) को माध्यता आदेश Recognition Order WRC/APW 02105/723077/229th/ B.Ed.-2015/ 149414- dat.- 29-07-2015 के संदर्भ में सूचनाएं।
- संचालक, एस सी ई आर टी शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- संचालक, शांती बाई कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुद्र (छ.ग.)
- संचालक, शांतिश्रम शिक्षा/विशामाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.)
- रा.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेक्टर/नामांकन/उ.कु.स. मोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ ही इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[Signature]
वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)
10/6/2016